

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-510/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.211-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(269)-2023

लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले रद्द किया गया है और जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर ऐसे रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 30 जून, 2023 तक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेंगे;

(ख) प्रतिसंहरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख तक देय विवरणी प्रस्तुत करने और ऐसी विवरणी के निबंधनों के अनुसार कर के रूप में देय रकम का ब्याज, शास्ति और ऐसी विवरणी के संबंध में विलंब फीस के लिए संदेय रकम सहित संदाय करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मामलों में और परिसीमा विस्तार, उपलब्ध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट परिसीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश या उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन खारिज करने के आदेश के विरुद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा का पालन करने में असफल रहने के आधार पर खारिज की गई है।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव